

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत 494001

Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur

(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005, Phone 07782-229037, Fax 07782-229226, www.bvvjdp.ac.in



कार्यपरिषद की 19वीं बैठक दिनांक 12.04.2018

- कार्यवाही विवरण
- विषय सूची
- अध्यक्ष की अनुमति से टेबल एजेण्डा
- विषय से संबंधित समस्त दस्तावेज सहित



क्रमांक / ७३५ / अका./ ब.वि.वि./ 2018

जगदलपुर, दिनांक १२/०४/२०१८

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की 19वीं बैठक
दिनांक 12.04.2018 हेतु विषय सूची :-

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की 18वीं बैठक दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न हुई थी। बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के कुलाधिपति द्वारा कार्यपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति पश्चात् (प्रथम कार्यपरिषद बैठक) वित्तीय वर्ष 2017–18 में किये गये व्यय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के निर्णयों हेतु बैठक आहूत की जा रही है। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिया जाना है :—

विषय क्रमांक – 1

- (अ) कार्यपरिषद की पूर्व (18वीं) बैठक दिनांक 24.05.2017 में की गई कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि।
- (ब) दिनांक 07.04.2018 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।

विषय क्रमांक – 2

दिनांक 26.10.2017 एवं 10.04.2018 को आयोजित भवन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।

विषय क्रमांक – 3 (वित्त विभाग से 03 प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा जगदलपुर से दिनांक 26.03.2018 को प्राप्त हुआ है। अंकेक्षण प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 4

बस्तर विश्वविद्यालय के बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान तैयार कर वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2018 में पारित किया गया है। संबंधित बजट की एक प्रति माननीय कार्यपरिषद E.C.& A.C. Agenda त्रैय समक्ष अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

[Signature]

विषय क्रमांक — 5

बस्तर विश्वविद्यालय के वित्त शाखा द्वारा राशि रु. 1.00 लाख से अधिक विभिन्न मदों में किये गये भुगतान/अग्रिम एवं राशि हस्तांतरण पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति सह सूचना के संबंध में वित्त विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। (पत्र संलग्न)

विषय क्रमांक — 6

(वाहन शाखा से 02 प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय हेतु नवीन वाहन क्रय करने संबंधी प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

1. परीक्षा विभाग के सुगम संचालक हेतु 01 नवीन बोलेरो जिसका अनुमानित लागत राशि रु. 8.00 लाख।
2. बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय हेतु पूर्व में क्रय किये गये वाहन विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित महाविद्यालयों का निरीक्षण तथा कार्यालयीन कार्यों से रायपुर एवं अन्य स्थान आने जाने हेतु यात्रा करने योग्य नहीं होने के कारण नवीन वाहन Innova Crysta जिसका अनुमानित लागत 15.00 लाख।
3. बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के शैक्षणिक गतिविधियों जैसे — कैम्प लगाने, जनजातीय अध्ययन, वानस्पतिक अध्ययन एवं खेल से संबंधित यात्रा हेतु विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराने में वाहन की आवश्यकता होती है। मिनी बस की अनुपलब्धता से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की शैक्षणिक कार्य बाधित हो रही है। अतः 50 सीटर मिनी बस जिसका अनुमानित लागत 20.00 लाख।

अतः उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 7

बस्तर विश्वविद्यालय के 02 पुराने वाहन (टाटा इंडिका एवं टाटा इंडिगो) के अपलेखन किये जाने हेतु माननीय कुलपति के निर्देशानुसार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 8 (भण्डार शाखा से 15 प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 04 क्रय नियम के अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद के माध्यम से मनोनित सदस्य नियुक्ति किये जाने हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 9

विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 04 विक्रय नियम के अनुसार केन्द्रीय विक्रय समिति के माध्यम से अनुपयोगी रद्दी कागजातों का विक्रय, अपलेखन योग्य एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय, टायर—ट्यूब विक्रय हेतु विक्रय समिति का निर्धारण किया जाना है, जिसमें कार्यपरिषद के द्वारा 01 सदस्य मनोनित किये जाने हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 10

माननीय कुलपति निवास, कुलपति कक्ष, कुलसचिव कार्यालय हेतु कुल 03 नग एल. जी. 42 इंच टेलीविजन डी.जी.एस.एण्ड डी. के माध्यम से क्रय किया गया था, जिसकी कुल लागत राशि रु. 2,78,944/- मात्र का भुगतान किया गया है, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 11

Sharp MX-M354N —सहायक कुलसचिव परीक्षा विभाग, कुलपति के निज सहायक, कुलसचिव कक्ष में स्थापित (कुल 03 नग) Sharp AR 6020 — ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, बी.एड., समाजकार्य अध्ययनशाला, एम.सी.ए., भण्डार शाखा, स्थापना शाखा, (कुल 06 नग) अतः मूल्य संवर्धित कर सहित कुल राशि रु. 8,31,000/- (आठ लाख, इकतीस हजार) मात्र भुगतान किया गया है, जिसकी क्रयोत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 12

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने से संबंधित फर्म मेसर्स अर्लन फैशन हाऊस, रायगढ़ का सामग्री प्रदाय करने एवं देयक भुगतान करने के पश्चात् Amount [SBI, Date 07.03.2015] Rs. 2,10,000/- (दो लाख, दस हजार) की वापसी की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक — 13

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने संबंधी निविदा “लक्ष्मी साइंटीफिक वर्क्स, रायपुर” के सामग्रियों का टैक्स सहित भुगतान कुल राशि रु. 5,30,267/- (पांच लाख, तीस हजार, दो सौ सड़सठ) मात्र किया गया है तथा उक्त फर्म से प्राप्त एफ.डी. राशि रु. 2,00,000/- (दो लाख) मात्र वापस की गई है, उक्त भुगतान एवं वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

dwu

विषय क्रमांक – 14

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने की निविदा में Varad Corporation, Shailendra Nagar, Raipur का दर अस्वीकृत होने के कारण धरोहर राशि रु. 1,25,000/- (एक लाख, पच्चीस हजार) मात्र वापस की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 15

छ.ग. संवाद, रायपुर से वर्ष 2016–17 हेतु कुल 06 लाख मुख्य एवं 03 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रित करवाया गया था। मुख्य उत्तर पुस्तिका का देयक क्रमांक पी 607, दिनांक 20.03.2017 की राशि रु. 30,94,800/- (तीस लाख, चौरानवे हजार, आठ सौ) मात्र भुगतान किया गया है, पूरक उत्तर पुस्तिका की देयक प्राप्ति उपरांत लगभग राशि रु. 5,61,000/- (पांच लाख, इक्सठ हजार) का भुगतान किया जाना है। अतः मुख्य उत्तर पुस्तिका का देयक भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति तथा पूरक उत्तर पुस्तिका देयक भुगतान करने हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 16

वर्ष 2017–18 में वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर से मुख्य उत्तर पुस्तिका 06 लाख एवं पूरक उत्तर पुस्तिका 03 लाख मुद्रित करवाया जा रहा है, जिसकी भुगतान की अनुमानित लागत जी.एस.टी. सहित राशि रु. 42,88,592/- (बयालिस लाख, अट्ठासी हजार, पांच सौ बयान्वे) मात्र छ.ग. संवाद से मुद्रण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान के निर्णय हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 17

बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकों को क्रय करने हेतु निविदा के अन्तर्गत द्वितीय स्वीकृति दर M./S. International Book Services, Lawrence Road, Delhi की धरोहर राशि रु. 1,50,000/- का वापस किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 18

विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकों क्रय करने हेतु सहायक ग्रंथपाल के प्रस्तावित विवरण के अनुरूप निविदा विज्ञापन मई 2016 में छ.ग.संवाद, रायपुर के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था। विज्ञापन हेतु छ.ग.संवाद, रायपुर को देयक राशि रु. 1,80,986/- (एक लाख, अस्सी हजार, नौ सौ छियासी) मात्र भुगतान किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

[Signature]

विषय क्रमांक – 19

बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय क्रीड़ा विभाग के प्रस्तावित आवश्यक सामग्रियों को क्रय किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 5 लाख की सम्भावना है। छ.ग. संवाद, रायपुर के माध्यम से निविदा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सामग्री निविदा के द्वारा क्रय करने की स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 20

माननीय कुलपति निवास हेतु विभिन्न सामग्रियों को क्रय करने एवं कार्य करवाने की आवश्यकता है। इस हेतु अधिकतम लागत राशि रु. 4.50 लाख (चार लाख, पचास हजार) व्यय की सम्भावना है, कार्य एवं सामग्री के गुण अनुसार स्थानीय संबंधित फर्मों से भावपत्र आमंत्रित करते हुए कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 21

विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2016–17 में अनुपयोगी रद्दी कागजात का विक्रय किया गया, जिससे कुल राशि रु. 3,90,069/- (तीन लाख, नब्बे हजार, उनहत्तर) प्राप्त हुए है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 22

विश्वविद्यालय के द्वारा विगत वर्ष के रद्दी कागजात क्रेता गर्ग ट्रेडर्स, भिलाई को 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के शर्त पर सत्र 2017–18 के रद्दी कागजात का विक्रय किया जा रहा है। जिससे अनुमानित आय रु. 3.00 लाख होने की सम्भावना है। उक्त स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 23 (अकादमिक विभाग से 04 प्रस्ताव)

राजभवन के निर्देशानुसार कुलपति चयन समिति के सदस्यों को राशि रु. 5000/- मानदेय दिया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 24

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित Revised Ordinance No. 45 Doctor of Philosophy को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू करने हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक -25

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्ताव क्रमांक 3 पर अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) में प्रस्तावित संशोधन को मान्य किया गया है। जिसके आधार पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4169/अका. /2017 रायपुर दिनांक 02.06.2017 को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक -26

शैक्षणिक सत्र 2017-18 छात्रसंघ चुनाव हेतु शासन द्वारा जारी संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01 को अंगीकृत करने संबंधी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक - 27 (क्रीड़ा विभाग)

क्रीड़ा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

1. क्रीड़ा विभाग में क्रीड़ा संचालक की नियुक्ति (प्रतिनियुक्ति)
2. क्रीड़ा विभाग में एक सहायक ग्रेड -3 की नियुक्ति (दै.वे.भो.)
3. क्रीड़ा विभाग में एक भूत्य/ग्राउण्डमेन की नियुक्ति (दै.वे.भो.)
4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले कोच व टीम मेनेजर तथा खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते बस्तर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत है।

विभागीय टीप :-

बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए सेटअप में स्वीकृत संचालक, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति होने तक उस पद के विरुद्ध श्री सी.पी. ठाकुर, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर का सहमति पत्र प्राप्त हुआ जिसके तहत प्राचार्य की अनुशंसा पर बस्तर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में समय-समय पर ओ.एस.डी. के रूप में खेलकूद सत्र के दौरान अपनी सेवा देना चाहते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 02, 03 के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत जिलाध्यक्ष दर (दै.वे.भो.) कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है तथा बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले कोच व टीम मेनेजर तथा खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते यथावत लागू किया जा सकता है।

dw

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के अकादमिक एवं प्रशासनिक भवनों की रंगाई, पोताई एवं लघु मरम्मत का कार्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) एवं कार्यपालन अभियंता, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस प्रा. लि., बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर से प्राक्कलन मंगवाया गया था। जिसमें छ.ग. मेडिकल सर्विसेस प्रा. लि., बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर की प्राक्कलन राशि रु. 22.75 लाख न्यनतम होने के कारण अनुबंध किया गया। तत्पश्चात् कार्य आदेश जारी किया गया।

उपरोक्तानुसार कार्योपरान्त मूल्यांकन कर प्रथम चल देयक की राशि रु. 11,93,459/- भुगतान किया गया है। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति तथा द्वितीय चल देयक की राशि रु. 8,26,784/- भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक - 29

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत सहायक प्राध्यापक / सहायक ग्रंथपाल 15600–39100 के वेतनमान में 6000/- ग्रेड पे से 7000/- ग्रेड पे के उन्नयन के प्रकरण में समिति की बैठक दिनांक 24.11.2017 को सम्पन्न हुई। समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनकी गोपनीय चरित्रावली, API स्कोर कार्ड और ओरियनेटेशन प्रमाण–पत्र के आधार पर एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की गणना करते हुये 7000/- ग्रेड पे प्रदत्त दिनांक से देने की अनुशंसा निम्न सहायक प्राध्यापकों की गई है—

क—डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला
 ख—डॉ. आनंदमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला
 ग—डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला
 घ—डॉ. संजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला

चूंकि सहायक ग्रंथपाल डॉ. संजय डोंगरे, द्वारा समिति की बैठक दिनांक 24.11.2017 तक ओरियेनेटेशन कोर्स का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि डॉ. संजय डोंगरे को ओरियेटेशन कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 7000/- ग्रेड पे प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

टीप:- डॉ. संजय डोंगरे, सहा. ग्रंथपाल, के द्वारा दिनांक 01.12.2017 को ओरियेटेशन कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

dw/n

विषय क्रमांक — 30

डी.पी.सी. की अनुशंसा —

चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.11.2017 के निर्णयानुसार भूत्य, स्वीपर एवं चौकीदार के पद पर कार्यरत 04 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड—3 के पद पर पदोन्नति दी गई है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक — 31

बस्तर विश्वविद्यालय के आदेश पृ. क्रमांक 4113 एवं 4516 /ब.वि.वि./सा.प्रशा./2017, जगदलपुर दिनांक 22.06.2017 एवं 07.09.2017 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को पुनः एक वर्ष लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है।

- 1— श्री रमेश केवट, सहा.वर्ग—3 — दिनांक 01.07.2017 से एक वर्ष के लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है।
- 2— श्री सतीश साहू सहा.वर्ग—2 — दिनांक 01.09.2017 से एक वर्ष के लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक — 32

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 16वीं बैठक दिनांक 26.03.2016 के विषय क्रमांक 22 (02) के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2026/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2016 जगदलपुर, दिनांक 06.12.2016 के अनुसार श्री दुष्टन्त मेश्राम को सहा.ग्रेड—2 के समान पद पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में सविलियन किया गया है। श्री दुष्टन्त मेश्राम सहा.ग्रेड—2 को विश्वविद्यालय के नियमानुसार वेतन/भत्ते देय होगा।

उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक — 33

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के विज्ञापन क्रमांक 5023/स्था./सा.प्रशा./2016 जगदलपुर, दिनांक 26.08.2016 के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुये चयन समिति द्वारा बी.एड एवं बायोटेक्नोलॉजी संकाय के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये 04 अभ्यार्थियों को संविदा नियुक्त दी गई है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

devn

विषय क्रमांक – 34

कार्यालयीन आदेश पृ. क्रमांक 4044/ब.वि.वि./2017 जगदलपुर दिनांक 07.06.2017 के अनुसार सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर दिनांक 06.12.2017 तक 6 माह के लिये संविदा नियुक्ति दी गई थी, जो दिनांक 07.12.2017 से समाप्त हो गई है। उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 35

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के विज्ञापन क्रमांक 4896,4896-1 एवं 5781/स्था./सा.प्रशा./2017 जगदलपुर, दिनांक 01.11.2017, 02.11.2017 04.11.2017 एवं 29.1.2018 के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुये संविदा/अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। (सूची संलग्न है)
अतः उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 36

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-8/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 19.03.2018 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में संचालित 11 अध्ययनशालाओं में रिक्त शैक्षणिक 59 पदों की नियुक्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पत्र संलग्न है
उक्त स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 37 (कम्प्यूटर अध्ययनशाला से)

कम्प्यूटर अध्ययनशाला द्वारा प्राप्त संलग्न प्रस्ताव के अनुसार साफ्टवेयर, कम्प्यूटर उपकरण एवं पुस्तक क्रय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय क्रमांक – 38 (जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला से)

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के सेमेस्टर अनुसार प्रवेशित छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले संलग्न नवीन शुल्क संरचना अनुसार लिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्रमांक – 39

क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अन्तर्गत रिक्त 35 शैक्षणिक पदों एवं 05 अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए संलग्न उच्चतम न्यायलय के निर्णय अनुसार शिक्षकीय पदों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के कंडिका 5.1.4 को लागू करने की अनुमति चाही गई है।


विभागीय टीप :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकीय पदों की नियुक्ति हेतु समय—समय पर लागू विनियम को बस्तर विश्वविद्यालय मान्य करती है और अनिवार्य रूप में लागू करती है। उच्चतम न्यायालय के आदेश जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए है, जिस पर बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक सलाहकार का अभिमत प्राप्त कर लिया गया है साथ में संलग्न है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के कंडिका 5.1.4 को मान्य करती है। साथ ही प्राप्त विधिक अभिमत के अन्य बिन्दुओं को भी मान्य करती है।

विषय क्रमांक — 40

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।


कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)



क्रमांक / ७५० / अका. / ब.वि.वि. / 2018

जगदलपुर, दिनांक १३/०४/२०१८

// कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण //

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के 19वीं कार्यपरिषद एवं नवगठित कार्यपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति पश्चात् प्रथम कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.04.2018 को अपराह्न 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह
कुलपति,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. डॉ. रशिम सिंह, प्राचार्य
शासकीय इंद्रसु केंवट कन्या महाविद्यालय, कांकेर
3. डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी, प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड
4. श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य
श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर
5. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक
शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
6. डॉ. ए.के.दीक्षित, प्राध्यापक
शास. इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम
7. डॉ. एस.सी. मुखर्जी, अधिष्ठाता
शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं
अनुसंधान केन्द्र, कुम्हरावण्ड, जगदलपुर
8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
9. संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन बस्तर, जगदलपुर
10. श्री हीरालाल नायक (भा.प्र.से.)
कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

अध्यक्ष

प्राचार्य — सदस्य

प्राचार्य — सदस्य

प्राचार्य — सदस्य

संकायाध्यक्ष — सदस्य

संकायाध्यक्ष — सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सचिव

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क्रमांक -1

- (अ) कार्यपरिषद की पूर्व (18वीं) बैठक दिनांक 24.05.2017 में की गई कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि।
- (ब) दिनांक 07.04.2018 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :- (अ) कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 18वीं कार्यपरिषद बैठक के कार्यवाही विवरण की सम्पुष्टि की गई।
 (ब) विद्यापरिषद बैठक के सभी विषयों में किये गये अनुशंसा को मान्य की गई।

विषय क्रमांक -2

दिनांक 26.10.2017 एवं 10.04.2018 को आयोजित भवन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :- दिनांक 26.10.2017 एवं 10.04.2018 को आयोजित भवन समिति बैठक के सभी विषयों में किए गए अनुशंसा को मान्य की गई।

विषय क्रमांक -3 (वित्त विभाग से 03 प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा जगदलपुर से दिनांक 26.03.2018 को प्राप्त हुआ है। अंकेक्षण प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- अवलोकन किया गया।

विषय क्रमांक -4

बस्तर विश्वविद्यालय के बजट वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट अनुमान तैयार कर वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2018 में पारित किया गया है। संबंधित बजट की एक प्रति माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- वित्तीय वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट को वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

dw

विषय क्रमांक - 5

बस्तर विश्वविद्यालय के वित्त शाखा द्वारा राशि रु. 1.00 लाख से अधिक विभिन्न मदों में किये गये भुगतान/अग्रिम एवं राशि हस्तांतरण पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति सह सूचना के संबंध में वित्त विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। (पत्र संलग्न)

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक -6 (वाहन शाखा से 02 प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय हेतु नवीन वाहन क्रय करने संबंधी प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

1. परीक्षा विभाग के सुगम संचालन हेतु 01 नवीन बोलेरो जिसका अनुमानित लागत राशि रु. 8.00 लाख।
2. बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय हेतु पूर्व में क्रय किये गये वाहन विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित महाविद्यालयों का निरीक्षण तथा कार्यालयीन कार्यों से रायपुर एवं अन्य स्थान आने जाने हेतु यात्रा करने योग्य नहीं होने के कारण नवीन वाहन Innova Crysta जिसका अनुमानित लागत 15.00 लाख।
3. बस्तर विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में अध्ययनरत छात्र -छात्राओं के शैक्षणिक गतिविधियों जैसे - कैम्प लगाने, जनजातीय अध्ययन, वानस्पतिक अध्ययन एवं खेल से संबंधित यात्रा हेतु विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराने में वाहन की आवश्यकता होती है। मिनी बस की अनुपलब्धता से विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की शैक्षणिक कार्य बाधित हो रही है। अतः 50 सीटर मिनी बस जिसका अनुमानित लागत 20.00 लाख।

अतः उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक - 7

बस्तर विश्वविद्यालय के 02 पुराने वाहन (टाटा इंडिका एवं टाटा इंडिगो) के अपलेखन किये जाने हेतु माननीय कुलपति के निर्देशानुसार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- सर्वसम्मति से प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक -8 (भण्डार शाखा से 15⁴ प्रस्ताव)

विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 04 क्रय नियम के अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद के माध्यम से मनोनित सदस्य नियुक्ति किये जाने हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- डॉ. के.इंदिरा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर को विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 04 क्रय नियम के अनुसार केन्द्रीय क्रय समिति का सदस्य मनोनित किया गया।

विषय क्रमांक - 9

विश्वविद्यालय विनियम 108 (विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अन्तर्गत निर्मित) भाग 04 विक्रय नियम के अनुसार केन्द्रीय विक्रय समिति के माध्यम से अनुपयोगी रद्दी कागजातों का विक्रय, अपलेखन योग्य एवं अन्य सामग्रियों के विक्रय, टायर-ट्यूब विक्रय हेतु विक्रय समिति का निर्धारण किया जाना है, जिसमें कार्यपरिषद के द्वारा 01 सदस्य मनोनित किये जाने हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- डॉ. के.इंदिरा, प्राध्यापक शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर विक्रय समिति का सदस्य मनोनित किया गया।

विषय क्रमांक - 10

माननीय कुलपति निवास, कुलपति कक्ष, कुलसचिव कार्यालय हेतु कुल 03 नग एल.जी. 42 इंच टेलीविजन डी.जी.एस.एण्ड डी. के माध्यम से क्रय किया गया था, जिसकी कुल लागत राशि रु. 2,78,944/- मात्र का भुगतान किया गया है, कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक - 11

Sharp MX-M354N –सहायक कुलसचिव परीक्षा विभाग, कुलपति के निज सहायक, कुलसचिव कक्ष में स्थापित (कुल 03 नग) Sharp AR 6020 – ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, बी.एड., समाजकार्य अध्ययनशाला, एम.सी.ए., भण्डार शाखा, स्थापना शाखा, (कुल 06 नग) अतः मूल्य संवर्धित कर सहित कुल राशि रु. 8,31,000/- (आठ लाख, इकतीस हजार) मात्र भुगतान किया गया है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 12

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने से संबंधित फर्म मेसर्स अरूण फैशन हाऊस, रायगढ़ का सामग्री प्रदाय करने एवं देयक भुगतान करने के पश्चात् Amount [SBI, Date 07.03.2015] Rs. 2,10,000/- (दो लाख, दस हजार) की वापसी की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 13

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने संबंधी निविदा “लक्ष्मी साइंटीफिक वर्क्स, रायपुर” के सामग्रियों का टैक्स सहित भुगतान कुल राशि रु. 5,30,267/- (पांच लाख, तीस हजार, दो सौ सड़सठ) मात्र किया गया है तथा उक्त फर्म से प्राप्त एफ.डी. राशि रु. 2,00,000/- (दो लाख) मात्र वापस की गई है, उक्त भुगतान एवं वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 14

प्रायोगिक उपकरण क्रय करने की निविदा में Varad Corporation, Shailendra Nagar, Raipur का दर अस्वीकृत होने के कारण धरोहर राशि रु. 1,25,000/- (एक लाख, पच्चीस हजार) मात्र वापस की गई है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 15

छ.ग. संवाद, रायपुर से वर्ष 2016–17 हेतु कुल 06 लाख मुख्य एवं 03 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रित करवाया गया था। मुख्य उत्तर पुस्तिका का देयक क्रमांक पी 607, दिनांक 20.03.2017 की राशि रु. 30,94,800/- (तीस लाख, चौरानवे हजार, आठ सौ) मात्र भुगतान किया गया है, पूरक उत्तर पुस्तिका की देयक प्राप्ति उपरांत लगभग राशि रु. 5,61,000/- (पांच लाख, इक्सठ हजार) का भुगतान किया जाना है। अतः मुख्य उत्तर पुस्तिका का देयक भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति तथा पूरक उत्तर पुस्तिका का मुद्रण संतोषप्रद होने पर नियमानुसार देयक भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

निर्णय :- मुख्य उत्तर पुस्तिका का देयक भुगतान की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति तथा पूरक उत्तर पुस्तिका देयक की लगभग राशि रु. 5,61,000/- भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक — 16

वर्ष 2017–18 में वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर से मुख्य उत्तर पुस्तिका 06 लाख एवं पूरक उत्तर पुस्तिका 03 लाख मुद्रित करवाया जा रहा है, जिसकी भुगतान की अनुमानित लागत जी.एस.टी. सहित राशि रु. 42,88,592/- (बयालिस लाख, अट्ठासी हजार, पांच सौ बयान्नवे) मात्र छ.ग. संवाद से मुद्रण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान के निर्णय हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- मुद्रण की कार्योत्तर स्वीकृति तथा मुद्रण पश्चात् सामग्री प्राप्ति उपरांत देयक नियमानुसार भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक — 17

बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकों को क्रय करने हेतु निविदा के अन्तर्गत द्वितीय स्वीकृति दर M./S. International Book Services, Lawrence Road, Delhi की धरोहर राशि रु. 1,50,000/- का वापस किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक — 18

विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकों क्रय करने हेतु सहायक ग्रंथपाल के प्रस्तावित विवरण के अनुरूप निविदा विज्ञापन मई 2016 में छ.ग.संवाद, रायपुर के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था। विज्ञापन हेतु छ.ग.संवाद, रायपुर को देयक राशि रु. 1,80,986/- (एक लाख, अस्सी हजार, नौ सौ छियासी) मात्र भुगतान किया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक — 19

बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय क्रीड़ा विभाग के प्रस्तावित आवश्यक सामग्रियों को क्रय किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. 5 लाख की सम्भावना है। छ.ग. संवाद, रायपुर के माध्यम से निविदा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सामग्री निविदा के द्वारा क्रय करने की स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- भण्डार क्रय नियमानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषय क्रमांक — 20

माननीय कुलपति निवास हेतु विभिन्न सामग्रियों को क्रय करने एवं कार्य करवाने की आवश्यकता है। इस हेतु अधिकतम लागत राशि रु. 4.50 लाख (चार लाख, पचास हजार) व्यय की सम्भावना है, कार्य एवं सामग्री के गुण अनुसार स्थानीय संबंधित फर्मों से भावपत्र आमंत्रित करते हुए कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय में उपलब्ध प्रावधानित बजट के अनुसार क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है तथा कुलपति बंगले के सामने गार्डन बनाने की अनुमति भी स्वीकृत किया गया है।

विषय क्रमांक — 21

विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र 2016–17 में अनुपयोगी रद्दी कागजात का विक्रय किया गया, जिससे कुल राशि रु. 3,90,069/- (तीन लाख, नब्बे हजार, उनहत्तर) प्राप्त हुए है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक — 22

विश्वविद्यालय के द्वारा विगत वर्ष के रद्दी कागजात क्रेता गर्ग ट्रेडर्स, भिलाई को 30 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के शर्त पर सत्र 2017–18 के रद्दी कागजात का विक्रय किया जा रहा है। जिससे अनुमानित आय रु. 3.00 लाख होने की सम्भावना है। उक्त स्वीकृति हेतु भण्डार शाखा से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- स्वीकृति दी जाती है।

dw/3

विषय क्रमांक -23

(अकादमिक विभाग से 04 प्रस्ताव) ⁻⁸⁻

राजभवन के निर्देशानुसार कुलपति चयन समिति के सदस्यों को राशि रु. 5000/- मानदेय दिया गया है। जिसका कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

विषय क्रमांक -24

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रस्तावित Revised Ordinance No. 45 Doctor of Philosophy में हुए संशोधन को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू करने हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- संशोधन को यथावत लागू करने की स्वीकृति दी जाती है।

विषय क्रमांक -25

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्ताव क्रमांक 3 पर अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) में प्रस्तावित संशोधन को मान्य किया गया है। जिसके आधार पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4169 / अका. / 2017 रायपुर दिनांक 02.06.2017 को बस्तर विश्वविद्यालय में यथावत लागू किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक -26

शैक्षणिक सत्र 2017-18 छात्रसंघ चुनाव हेतु शासन द्वारा जारी संशोधित अध्यादेश क्रमांक 01 को अंगीकृत करने संबंधी कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अकादमिक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- कार्योत्तर स्वीकृति दी जाती है।

विषय क्रमांक - 27 (क्रीड़ा विभाग)

क्रीड़ा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

1. क्रीड़ा विभाग में क्रीड़ा संचालक की नियुक्ति (प्रतिनियुक्ति)
2. क्रीड़ा विभाग में एक सहायक ग्रेड -3 की नियुक्ति (दै.वे.भो.)
3. क्रीड़ा विभाग में एक भूत्य/ग्राउण्डमेन की नियुक्ति (दै.वे.भो.)
4. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले कोच व टीम मेनेजर तथा खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते बस्तर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा विभाग में यथावत लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत है।

dwj

विभागीय टीप :-

बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए सेटअप में स्वीकृत संचालक, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति होने तक उस पद के विरुद्ध श्री सी.पी. ठाकुर, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर का सहमति पत्र प्राप्त हुआ जिसके तहत प्राचार्य की अनुशंसा पर बस्तर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में समय-समय पर ओ.एस.डी. के रूप में खेलकूद सत्र के दौरान अपनी सेवा देना चाहते हैं तथा बिन्दु क्रमांक 02, 03 के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत जिलाध्यक्ष दर (दै.वे.भो.) कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है तथा बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के क्रीड़ा विभाग द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले कोच व टीम मेनेजर तथा खिलाड़ियों को दिये जाने वाले भत्ते यथावत लागू किया जा सकता है।

निर्णय :-

संचालक, शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति होने तक उस पद के विरुद्ध श्री सी.पी. ठाकुर, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय महर्षि वाल्मीकी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर को नियमानुसार मानदेय के साथ बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए कार्य करने की सहमति दी गई है तथा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के लिए जिलाध्यक्ष दर पर रखने की सहमति दी गई।

विषय क्रमांक – 28

(स्थापना विभाग से 09 प्रस्ताव)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के अकादमिक एवं प्रशासनिक भवनों की रंगाई, पोताई एवं लघु मरम्मत का कार्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) एवं कार्यपालन अभियंता, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस प्रा. लि., बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर से प्राक्कलन मंगवाया गया था। जिसमें छ.ग. मेडिकल सर्विसेस प्रा. लि., बस्तर संभाग, हाऊसिंग बोर्ड हाट कचौरा, जगदलपुर की प्राक्कलन राशि रु. 22.75 लाख न्यूनतम होने के कारण अनुबंध किया गया। तत्पश्चात कार्य आदेश जारी किया गया।

उपरोक्तानुसार कार्योपरान्त मूल्यांकन कर प्रथम चल देयक की राशि रु. 11,93,459/- भुगतान किया गया है। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति तथा द्वितीय चल देयक की राशि रु. 8,26,784/- भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :-

भुगतान की गई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति तथा द्वितीय चल देयक की राशि रु. 8,26,784/- भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

dw7

विषय क्रमांक — 29

बरतर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत सहायक प्राध्यापक / सहायक ग्रंथपाल 15600—39100 के वेतनमान में 6000/- ग्रेड पे से 7000/- ग्रेड पे के उन्नयन के प्रकरण में समिति की बैठक दिनांक 24.11.2017 को सम्पन्न हुई। समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनकी गोपनीय चरित्रावली, API स्कोर कार्ड और ओरियनेटेशन प्रमाण—पत्र के आधार पर एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की गणना करते हुये 7000/- ग्रेड पे प्रदत्त दिनांक से देने की अनुशंसा की गई है—

क—डॉ. विनोद कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला
 ख—डॉ. आनन्दमूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला
 ग—डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला
 घ—डॉ. सजीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक, वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला

चूंकि सहायक ग्रंथपाल डॉ. संजय डोंगरे, द्वारा समिति की बैठक दिनांक 24.11.2017 तक ओरियेनेटेशन कोर्स का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि डॉ. संजय डोंगरे को ओरियेनेटेशन कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 7000/- ग्रेड पे प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

टीप:— डॉ. संजय डोंगरे, सहा. ग्रंथपाल, के द्वारा दिनांक 01.12.2017 को ओरियेनेटेशन कोर्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :— डॉ. आनन्दमूर्ति मिश्रा से एक शपथ पत्र लिया जाकर लाभ दिया जाये। शेष यथावत स्वीकृत किया गया। यदि पूर्व में शपथ पत्र लिया गया हो तो आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक — 30

डी.पी.सी. की अनुशंसा —

चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.11.2017 के निर्णयानुसार भूत्य, स्वीपर एवं चौकीदार के पद पर कार्यरत 04 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड—3 के पद पर पदोन्नति दी गई है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :— सूचना ग्रहण की गई।

dwz

विषय क्रमांक – 31

बस्तर विश्वविद्यालय के आदेश पु. क्रमांक 4113 एवं 4516 /ब.वि.वि./ सा.प्रशा./2017, जगदलपुर दिनांक 22.06.2017 एवं 07.09.2017 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को पुनः एक वर्ष लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है :—

1— श्री रमेश केवट, सहा.वर्ग-3 — दिनांक 01.07.2017 से एक वर्ष के लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है।

2— श्री सतीश साहू, सहा.वर्ग-2 — दिनांक 01.09.2017 से एक वर्ष के लिये संविदा में नवीनीकरण किया गया है।
उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई। भविष्य में नियमानुसार नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जावे।

विषय क्रमांक – 32

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 16वीं बैठक दिनांक 26.03.2016 के विषय क्रमांक 22 (02) के अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2026 /ब.वि.वि./ सा.प्रशा./2016 जगदलपुर, दिनांक 06.12.2016 के अनुसार श्री दुष्यन्त मेश्राम को सहा.ग्रेड-2 के समान पद पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ से बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में संविलियन किया गया है। श्री दुष्यन्त मेश्राम सहा.ग्रेड-2 को विश्वविद्यालय के नियमानुसार वेतन/भत्ते देय होगा।

उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 33

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के विज्ञापन क्रमांक 5023 /स्था./ सा.प्रशा./2016 जगदलपुर, दिनांक 26.08.2016 के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुये चयन समिति द्वारा बी.एड एवं बायोटेक्नोलॉजी संकाय के अन्तर्गत एक वर्ष के लिये 04 अभ्यार्थियों को संविदा नियुक्ति दी गई है। उक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

dw

विषय क्रमांक – 34

कार्यालयीन आदेश पृ. क्रमांक 4044/ब.वि.वि./2017 जगदलपुर दिनांक 07.06.2017 के अनुसार सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के पद पर दिनांक 06.12.2017 तक 6 माह के लिये संविदा नियुक्ति दी गई थी, जो दिनांक 07.12.2017 से समाप्त हो गई है। उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 35

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर के विज्ञापन क्रमांक 4896,4896-1 एवं 5781/स्था./सा.प्रशा./2017 जगदलपुर, दिनांक 01.11.2017, 02.11.2017 04.11.2017 एवं 29.1.2018 के अभ्यावेदनों पर विचार करते हुये संविदा/अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति दी गई है। (सूची संलग्न है)
अतः उपरोक्त प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक – 36

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-8/2017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 19.03.2018 के अनुसार बस्तर विश्वविद्यालय में संचालित 11 अध्ययनशालाओं में रिक्त शैक्षणिक 59 पदों की नियुक्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। पत्र संलग्न है
उक्त स्वीकृति अनुसार शैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- शैक्षणिक 59 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित कर नियमानुसार नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 37 (कम्प्यूटर अध्ययनशाला से)

कम्प्यूटर अध्ययनशाला द्वारा प्राप्त संलग्न प्रस्ताव के अनुसार साफ्टवेयर, कम्प्यूटर उपकरण एवं पुस्तक क्रय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- मद में राशि उपलब्ध होने पर नियमानुसार खरीदी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक – 38 (जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला से)

जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के सेमेस्टर अनुसार प्रवेशित छात्र-छात्राओं से लिए जाने वाले संलग्न नवीन शुल्क संरचना अनुसार लिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षणोंपरांत नियमानुसार शुल्क वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

dw7

विषय क्रमांक — 39

क्राईस्ट महाविद्यालय, जगदलपुर द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अन्तर्गत रिक्त 35 शैक्षणिक पदों एवं 05 अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए संलग्न उच्चतम न्यायलय के निर्णय अनुसार शिक्षकीय पदों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के कंडिका 5.1.4 को लागू करने की अनुमति चाही गई है।

विभागीय टीप :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकीय पदों की नियुक्ति हेतु समय—समय पर लागू विनियम को बस्तर विश्वविद्यालय मान्य करती है और अनिवार्य रूप में लागू करती है। उच्चतम न्यायलय के आदेश जो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए है, जिस पर बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा विधिक सलाहकार का अभिमत प्राप्त कर लिया गया है साथ में संलग्न है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के कंडिका 5.1.4 को मान्य करती है। साथ ही प्राप्त विधिक अभिमत के अन्य बिन्दुओं को भी मान्य करती है।

निर्णय :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लागू नियमानुसार उचित कार्यवाही करने की स्वीकृति दी गई है।

विषय क्रमांक — 40

अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

पूरक एजेण्डा

विषय क्रमांक — 1

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों को आबंटित आवासों का जल आपूर्ति वर्तमान कर लागू किया गया है उसी प्रकार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों को आबंटित आवासों का जल आपूर्ति कर यथावत लागू किया जाय।

निर्णय :-

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अनुसार यथावत लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

dwz

विषय क्रमांक -2

बस्तर विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.07.2014 के विषय क्रमांक 07 के निर्णयानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शिक्षण शुल्क में दी जा रही प्रतिपूर्ति संबंधी सुविधा को अंगीकृत कर स्वीकृति प्रदान की गई है तथा यह सुविधा शैक्षणिक सत्र 2014-15 से लागू किया गया है।

उक्त निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश में विसंगति को दूर करते हुए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का संशोधन आदेश क्रमांक 292 / सा.प्रशा. / 12 रायपुर दिनांक 18.01.2012 के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति राशि अधिकतम रु. 4000/- (चार हजार मात्र) तक प्रतिवर्ष / प्रति बच्चे की दर से (अधिकतम दो बच्चे के लिए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त आदेशानुसार बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश में हुए विसंगति को संशोधित करते हुए जारी पूर्व आदेश तिथि से प्रभावशील किया जा सकता है।

निर्णय :- पूर्व कार्यपरिषद के निर्णयानुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आदेशानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा पूर्व में जारी आदेश की तिथि से संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि बस्तर विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों को 7वें वेतनमान दिये जाने हेतु राज्य शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्री हीरालाल नायक (भा.प्र.से.) अपर कलेक्टर एवं कुलसचिव बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को कलेक्टर, बलरामपुर बनाये जाने पर बधाई देते हुए विश्वविद्यालय में उनके द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए कार्यपरिषद बैठक की कार्यवाही पूर्ण की गई।


कुलपति 13/4/14

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)


कुलसचिव

 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)